कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–सर्वेक्षण) मध्यप्रदेश

क्रमॉक/मु.व.सं./भू–सर्वे/ 1921 भोपाल दिनॉक:–17–03–2004

प्रति,

समस्त वनसंरक्षक,(क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश.

विषय :– वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए स्थल विशिष्ट प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश ।

–0–

वनसंरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पूर्व आवेदक संस्था के द्वारा गैर वन भूमि एवं बिगड़े वनों में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना आपके माध्यम से बनाकर प्रस्तुत की जा रही है । इस योजना के बनाने के लिए इस कार्यालय के पत्र कमांक 572 दिनांक 7–2–2002 से विस्तृत निर्देश आपके प्रेषित किये गये थे जिसमें स्पष्ट रुप से आपको निर्देश दिये गये थे कि योजना स्थल विशेष की आवश्यकता के अनुरुप होनी चाहिए तथा उसमें स्थानीय आवश्यकतानुसार कार्य आयोजना के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए 7 वर्षो की अवधि हेतु समस्त व्ययों का आकलन कर समावेश किया जाना चाहिए । इस कार्यालय के पत्र दिनांक 7–2–2002 के साथ राज्य शासन के परिपत्र दिनांक 7–12–2001 को भी संलग्न किया गया था जिसमें राज्य शासन ने वैकल्पिक वृक्षारोपण के रख–रखाव की अवधि व्यतीत होने के उपरांत न्यूनतम 75 प्रतिशत जीवित प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे । राज्य शासन के यह निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 में दिनांक 8–9–2000 में दिये गये आदेश के पालन में थे। इसके उपरांत इस कार्यालय के पत्र कमांक भू–सर्वे/बजट/10/1415 दिनांक 24–2–2004 से भी वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

उपरोक्त निर्देशों की निरंतरता में पुनः आपको निर्देश दिये जा रहे हैं कि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं को स्थल विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्य आयोजना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनायें जिसमें क्षेत्र तैयारी एवं रोपण के उपरांत कम से कम 5 वर्ष की अवधि के रख–रखाव का प्रावधान किया जावे एवं इस अवधि के व्यतीत होने के उपरांत सफलता का प्रतिशत 75 होना चाहिए । अगर आपको लगता है कि 75 प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के लिए रख–रखाव की अवधि अधिक होना चाहिए तो वैसा प्रावधान आप वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मे करने के लिए स्वतंत्र हैं । परन्तु यह अवधि युक्तियुक्त होना चाहिए । वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बनाने के लिए इस कार्यालय के द्वारा व्यय के कोई नार्मस निर्धारित नहीं किये गये हैं.

स्थल की आवश्यकता अनुसार इस हेतु आप प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु वैकल्पिक वृक्षारोपण की रख–रखाव अवधि व्यतीत होने के उपरांत 75 प्रतिशत सफलता नहीं होने पर जवाबदारी निर्धारित की जायेगी । प्रत्येक वर्ष का व्यय निर्धारित करते समय उसमें होने वाली मूल्य वृद्वि को भी ध्यान में रखा जाये ताकि उसके अनुरुप राशि की मांग आवेदक/ आवेदक संस्था से की जा सके और भविष्य में आवेदक /आवेदक संस्था से इस हेतु अतिरिक्त राशि की मांग न की जावे । अतः आशा है कि भविष्य में आप इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कर वैकल्पिक वृक्षारोपण को सफल बनाने में उचित कार्यवाही करेगें ।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
मध्यप्रदेश,भोपाल